न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 81/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

ब ना म

....वादी

1. निर्मल सिंह पुत्र स्व. श्री मिठु सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. परमजीत कौर पत्नी श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तह व जिला श्रीगंगानगर
3. अमनदीप कौर {पुत्री श्री निर्मल सिंह} पत्नी श्री सतवन्त जाति जटसिख निवासी केसरीसिंहपुर श्रीगंगानगर (राज0)
4. रसप्रीत कौर {पुत्री श्री निर्मल सिंह} पत्नी श्री प्रभजोत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 08, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	वादी
अधिवक्ता शुभम पारीक	प्रतिवादी 1 ता 4
पैरोकार राज	(प्रति.–5)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.05.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी की बहने है। चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 22/11 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है.खाला), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है.खाला) कुल 2.783 है. {2.733 है. नहरी + 0.050 है. खाला} वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 निर्मल सिंह पुत्र मिठु सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 1 क्यू के खाता संख्या 22/11 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 50/36 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 13 से 18 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.518 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 निर्मल सिंह पुत्र मिठु सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 1 क्यू के खाता संख्या 50/36 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के पिताजी यानि वादी के दादाजी मिठूसिंह पुत्र गुलजार सिंह से चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 10, 35, 44, 45 की 45 बीघा 9 बिस्वा नहरी/बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसमें से 11 बीघा कृषि भूमि वादी के दादाजी मिठूसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विभाजन द्वारा वादी के पिताजी यानि प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई तथा वादी के पिताजी के भाईयो निशान सिंह व गुरशान सिंह को भी वादी के दादाजी से संयुक्त खाता में कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने भाई गुरशान सिंह से किए गए पारस्परिक सहमति समझौता बंटवारा अनुसार ग्राम 10 जेडीडब्लयू पटवार हल्का डबली वास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ में प्राप्त हुई कृषि भूमि गुरशान सिंह को दे दी तथा गुरशान सिंह को प्राप्त हुई चक 1 क्यू की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किए गए उपहार पत्र नामान्तरण संख्या 693 दिनांक 05/05/2025 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाई गई इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि है जो वादी के दादाजी व वादी के तायाजी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। उक्त विरास्तन जायदाद में वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू समझौता अनुसार चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2071=2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 22/11 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 3(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है.खाला) कुल 1.518 है. {1.493 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को घरेलू बंटवारा में दी गई जिसका वादी काबिज काश्त है। उक्त घरेलू बंटवारा में आई कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 02/05/2025 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये है, यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने एवं प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार संयोजित किए गए है। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 22/11 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 3(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है.खाला) कुल 1.518 है. {1.493 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर अलग लगाने कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1 निर्मल सिंह के नाम चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 22/11 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 3(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है.खाला) कुल 1.518 है. {1.493 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को बंटवारा में दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 1 निर्मल सिंह के नाम चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 22/11 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 3(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है.खाला) कुल 1.518 है. {1.493 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर उक्तानुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने साबते होशो हवास में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने स्वेच्छा से तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2071–2074 ग्राम 1 क्यू, पटवार क्षेत्र संगतपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 22/11, जमाबंदी सम्वत्–2071–2074 ग्राम 1 क्यू, पटवार क्षेत्र संगतपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 50/36, नामान्तकरण 693/30.04.2025 की प्रति पेश की गई। भूमि के विरासतन होने बाबत साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी चं 1 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। वकील वादी एवम् वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा बहस में वाद को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये स्टाम्प इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अन्य न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन नहीं है, पत्रावली में संपूर्ण वारिसान के पक्षकार है, पक्षकारान में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है एवम् भूमि पर किसी प्रकार का बकाया नहीं है एवं बकाया होने की स्थिति में बकाया भर दिया जावेगा।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससीद्ध पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1976 पेज 469 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युज) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 22/11 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 3(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है.खाला) कुल 1.518 है. {1.493 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि का वादी सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30.05.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner